E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2022; 4(1): 192-196
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 01-01-2022
Accepted: 05-02-2022

अजीत सिंह
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा, भारत

Corresponding Author:
अजीत सिंह
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा, भारत

आरक्षण नीतिः समस्या एव संभावनाएं (हरियाणा प्रदेश का विश्लेषणात्मक अध्ययन)

अजीत सिंह

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2022.v4.i1c.158

सारांश
"संसद द्वारा पारित संविधान (103 वां संशोधन) अधिनियम 2019 राज्य (यानी, केन्द्र और राज्य सरकार दोनों) को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.) को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। संविधान के नए सम्मिलित अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति और राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए समाज के ई.डब्ल्यू.एस. को आरक्षण प्रदान करना है या नहीं, यह राज्य सरकार द्वारा तय किया जाना है।
1992 के आदेश के बाद से, कई राज्यों ने हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करने वाले कानून पारित किए हैं। कई राज्यों ने 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण लाने के लिए कानून में बदलाव किए। एक उल्लेखनीय उदाहरण तमिलनाडु में है। 1993 के इसके अधिनियम में राज्य सरकार में कॉलेजों और नौकरियों में 69 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। हालाँकि, संविधान में संशोधन करके नए कानून को बनाना इंद्रासाहनी फैसले के एकदम विपरीत है। प्रस्तुत पत्र हरियाणा में आरक्षण नीतियों से संबंधित मुद्दों विशेष रूप से जाट समुदाय आरक्षण संबंधी समस्याओं को प्रस्तुत करता है, ये समस्याएं राज्य में लंबे समय से स्थिर हैं। निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75 प्रतिशत कोटा प्रदान करने की मांग वाले हालिया बिल पर भी पेपर केन्द्रित है।

कूटशब्दः संविधान, आरक्षण, समस्याएं, पिछड़ा, जाट समुदाय

प्रस्तावना
"भारत के संविधान में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए प्रशासन में आरक्षण की पहचान करने वाले आदेश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय के संविधान के अनुच्छेद 16, 335, 338, 340, 341 और 342 में की गई व्यवस्थाएं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य विपरीत वगो के लोगों को आरक्षण एवं आश्वासन की सुरक्षा प्रदान करती हैं।
अनुच्छेद 16 'राज्य' को एससी, एसटी और ओबीसी के लिए व्यवस्था या पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने का अधिकार देता है। किसी भी मामले में, व्यवस्था या पदों में आरक्षण की मात्रा और प्रासंगिकता के संबंध में बिंदु दर बिंदु व्यवस्था, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुरोधों द्वारा प्रशासित की जाती है। भारत सरकार आरक्षण आदेशों की प्रासंगिकता नामांकन की रणनीति के अधीन है। आरक्षण का स्तर और साथ ही आरक्षण के उपयोग की पद्धति नामांकन की रणनीति के अनुसार निर्भर और भिन्न होगी।
केन्द्र सरकार समर्थित उन्नत शिक्षा प्रतिष्ठानों में, अनुसूचित जाति (एस.सी.) और अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के लिए 22.5 प्रतिशत सीटें (एस.टी. के लिए 7.5 प्रतिशत, एससी के लिए 15 प्रतिशत हैं। ओबीसी के लिए अतिरिक्त 27 फीसदी आरक्षण को शामिल करके इस आरक्षण दर को बढ़ाकर 49.5 फीसदी कर दिया गया है।
हरियाणा में, अनुसूचित जाति के लिए 20 प्रतिशत, रिवर्स क्लास ए के लिए 16 प्रतिशत, रिवर्स क्लास बी में 11 प्रतिशत, रिवर्स क्लास में 10 प्रतिशत, 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछड़े और 3 फीसदी शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षण है।
जनवरी 2000 में, तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने अनुसूचित क्षेत्रों में स्कूल शिक्षकों के पदों पर अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के उम्मीदवारों को 100 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। हरियाणा और बिहार में, 10 प्रतिशत ई. डब्ल्यू.एस कोटा को शामिल करने के बाद यह 60 प्रतिशत कोटा है।

सकारात्मक कार्रवाई नीतियां राष्ट्रों और संस्थानों के लिए विशिष्ट रही हैं, जिनका लक्ष्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हाशिए के समूहों और समुदायों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए सकारात्मक कार्रवाई या आरक्षण नीति की एक लंबी परंपरा रही है, एक नीति जिसका अभिजातध्अगले समुदायों द्वारा गहरा विरोध और विरोध किया गया था। जबकि ये नीतियां पिछड़ों की स्थिति में सुधार करने में केवल मामूली रूप से सफल रही हैं, यह सामाजिक रूप से आगे के समुदाय हैं जो अब आक्रामक रूप से आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

समस्या : आरक्षण क्यों और कब

संविधान में शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की परिकल्पना की गई थी। हालांकि, उन्हें निर्धारित करने के मानदंड विवादित हैं। जबकि आर्थिक पिछड़ेपन का वस्तुनिष्ठ रूप से पता लगाया जा सकता है, सामाजिक पिछड़ापन व्याख्या का विषय है।[1] 1 जाति और पारंपरिक व्यवसायों को अक्सर सामाजिक पिछड़ेपन के निर्धारकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण (एनएसएस) के अध्ययनों के आधार पर पता चलता है कि 1999–2000 में, 36 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने खुद को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सदस्य के रूप में माना। हालांकि, 2011–12 तक यह संख्या बढ़कर 44 प्रतिशत हो गई थी (देसाई 2016)। "जैसे ही आरक्षण की राजनीति आरक्षण की नीति पर हावी हो जाती है, औपचारिक/आधिकारिक वर्गीकरण पर पहचान को प्राथमिकता दी जाती है।

जाति की पहचान में उतार–चढ़ाव

जाट समुदाय और विभिन्न हिंदू पहचान–आधारित व्यवस्थाओं के बीच दोलन संबंध अधिक दिलचस्प हैं। यह तर्क दिया जाता है कि आर्य समाजवादियों द्वारा शुरू किए गए शुद्धि आंदोलन में जाटों को क्षत्रियों के वर्ण में शामिल करना शामिल था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ उनके आंदोलन, विशेष रूप से 1980 के दशक के अंत में अयोध्या आंदोलन के दौरान, उग्रवादी हिंदू धर्म के प्रदर्शन सहित, खुद को उच्च जातियों की श्रेणी में शामिल करने की आवश्यकता से प्रेरित करता था (जाफरेलॉट 2010: 444)।

20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान जाट नेताओं ने जाट समुदाय की किसानता पर जोर देने का प्रयास किया गया था और ऐसा करने में जाट नेता छोटू राम ने खुद को आर्य समाजियों के विरोध में खड़ा कर दिया था, जो कि उनकी आलोचना कर रहे थे (जाफरेलॉट 2010) : 432–33)[2] ।

जाट समुदाय की पहचान दूसरे वर्गों से अलग दिखने की एक मजबूत प्रक्रिया पर आधारित थी, अर्थात् उन्हें उच्च जातियों और निचली जातियों दोनों से अलग करना। इस प्रकार निर्मित सामाजिक पहचान को आर्थिक समृद्धि के संकेतक के रूप में भूमि के कब्जे से रेखांकित किया गया था।''

''एम एन श्रीनिवास द्वारा वर्णित प्रमुख जाति की अवधारणा वह है जो कर्मकांड पदानुक्रम के मध्य में स्थित है, अन्य जातियों की तुलना में संख्यात्मक रूप से बड़ी है और स्थानीय सामाजिक–आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण रखती है (जेफरी 2001: 221)। परंपरागत रूप से, जाटों की सामाजिक स्थिति और सम्मान को जमींदार और जमींदारी से जोड़ने के लिए जाना जाता है (मूनी 2011: 180)। हालांकि, जाटों का आर्थिक रूप से प्रभावशाली ग्रामीण जाति के रूप में उदय हरित क्रांति के साथ संभव हो पाया जो हरियाणा में विशेष रूप से सफल रहा।

आर्थिक पृष्ठभूमि

"हरियाणा में, किसान मोड की प्रधानता को देखते हुए, राज्य में लगभग 57 प्रतिशत भूमि जोत को छोटे या सीमांत (2 एकड़ से कम) के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि छोटी और सीमांत भूमि के लिए अखिल भारतीय आंकड़े 75 प्रतिशत थे। साथ ही, हरियाणा में एक परिचालन भूमि का औसत आकार 2.76 हेक्टेयर था जबकि अखिल भारतीय औसत केवल 1.69 हेक्टेयर था। फिर भी, हरियाणा में भी औसत जोत के आकार में तेजी से गिरावट देखी गई जो 1980 के दशक की शुरुआत और 1980 के दशक के मध्य के बीच 21 प्रतिशत गिर गई जो देश में सबसे अधिक थी, राष्ट्रीय औसत गिरावट केवल 9 फीसदी थी (सेठी 2011: 120)[3] । जबकि परिवारों के भीतर भूमि के उपखंड ने व्यक्तिगत जोत को कम करने में योगदान दिया है, हरियाणा के कुछ हिस्सों में सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण जो राष्ट्रीय राजधानी के करीब हैं, ने भी ग्रामीण इलाकों में आर्थिक समीकरण बदल दिए हैं। जाट और गुर्जर किसान जातियों को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर किया गया और संपत्ति के मुद्रीकरण ने विशेष रूप से युवाओं के बीच उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया। दूसरी ओर, इसके परिणामस्वरूप आजीविका के विकल्प भी समाप्त हो गए और इसके परिणामस्वरूप अपराध दर में वृद्धि हुई।

आरक्षण की पहचान का सिद्धांत

"हरियाणा में , पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, गुरनाम सिंह आयोग, 1990–91 में स्थापित किया गया था। आयोग ने हरियाणा में ओबीसी वर्ग के लिए 26 प्रतिशत आरक्षण और जाट, जाट सिख, अहीर, बिश्नोई, मेव, राजपूत, गुर्जर, रोडे, सैनी और त्यागी समुदायों को ओबीसी की श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की। तत्कालीन हुकुम सिंह सरकार ने जाटों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की अधिसूचना दी थी, लेकिन बाद में मई 1991 में भजन लाल सरकार ने इसे वापस ले लिया। राज्य में बाद के दो आयोगों ने जाटों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश नहीं की। अखिल भारतीय जाट संरक्षण समिति ने मंडल आयोग की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए कहा कि आयोग ने जाटों को एक ऐसे समुदाय के रूप में देखा, जो राजनीतिक रूप से अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करते थे, क्योंकि चरण सिंह 1952 में केन्द्रीय मंत्री बने थे। साथ ही जाट खुद को पिछड़े के रूप में नहीं देखते थे आरक्षण की मांग करना उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाता था।

समिति के सदस्यों ने दावा किया कि आयोग का यह दृष्टिकोण गलत था और राज्य में जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाता (राजलक्ष्मी 2010)[4]। जाटों ने तर्क दिया कि उन्होंने उन जातियों

[1] 1980 में स्थापित मंडल आयोग ने सामाजिक, मौद्रिक और शैक्षणिक मानदंडों के आधार पर 3,743 पिछड़ी जातियों का निदान किया।

[2] औपनिवेशिक अधिकारियों ने कृषिविदों के साथ कोई असामान्य जगह नहीं बनाई और 1900 में पंजाब एलियनेशन ऑफ लैंड एक्ट को सौंप दिया। इस अधिनियम ने 15 साल की अवधि के लिए सभी भूमि खरीद और गिरवी पर रोक लगा दी। इस अधिनियम का उद्देश्य जमींदारों की गतिविधियों को ढालना था और ग्रामीण और गैर– कृ षि पाठों के बीच भिन्नता को तेज करना था जिसमें व्यापारी, साहूकार और दुकानदार शामिल थे। यह अधिनियम 1899 में आयोजित लखनऊ परामर्श में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से विरोधी बन गया।

[3] 2004–14 के दौरान जब भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तब परिवर्तन भूमि उपयोग (सीएलयू) नीति के तहत सरकारी और निजी ऑपरेटरों द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य कुख्यात हो गया था।

[4] राजलक्ष्मी (2010) का तर्क है कि जाटों के माध्यम से इस आह्वान को हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन के आह्वान के साथ जोड़ा गया है ताकि समान गोत्र विवाह 'जाति समेकन' और दावे को बढ़ाने की दिशा में निषिद्ध कारक हा । अंतिम रैंक का अलग मुद्दा दलित और विभिन्न पिछड़ी जाति समूहों के प्रति

के सदस्यों के साथ हुक्का–पानी या समान स्थिति के संबंध साझा किए जो पहले से ही ओबीसी की श्रेणी में शामिल थे। साथ ही, उन्होंने पड़ोसी राज्यों में परिवारों का विस्तार किया था जहां जाटों को ओबीसी श्रेणी[5] में शामिल किया गया था और इसलिए, सरकार को हरियाणा के जाटों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हालाँकि, जैसा कि देखा गया है, राज्यों में एक ही जाति की स्थिति परिवर्तनशील है। राजलक्ष्मी (2010) के अनुसार, कुनबी और कुर्मी समुदाय, जो गुजरात में पिछड़े के रूप में सूचीबद्ध नहीं हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में ओबीसी श्रेणी में शामिल हैं। यह आंद्रेबेतेल के इस अवलोकन के साथ मेल खाता है कि जातिगत असमानताएँ इतनी संचयी नहीं हैं जितनी वे बिखरी हुई हैं। जाटों को 'आंतरिक रूप से विभेदित समुदाय' के रूप में देखा जाता है (दत्ता 1999बीः 3172)[6]।

दिसंबर 2012 में, हरियाणा में भूपिंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) की श्रेणी के तहत जाटों सहित पांच समुदायों[7] को 10 फीसदी आरक्षण देने वाले राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। सरकार का यह कदम सर्वजात खाप संरक्षण समिति (हरियाणा के सभी जाट खापों का प्रतिनिधित्व)[8] के आंदोलन को रोकने के लिए उठाया गया था। इस फैसले को पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसने जुलाई 2015 में इस कोटे पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 27 सितंबर को, राज्य सरकार ने 10 फीसदी एसबीसी कोटा वापस ले लिया और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित सीटों को खोल दिया। फरवरी 2016 में, जाटों ने आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया।

राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों (ईबीपी) को 20 प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित आर्थिक मानदंड स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि, यह प्रस्ताव आंदोलनकारियों को अस्वीकार्य था। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत कोटा सीमा हरियाणा में पहले ही लागू है। निजी क्षेत्र में आरक्षण हिंदुस्तान के लिए रोजगार एक बड़ी समस्या है। बेरोजगारी का आलम यह है कि अब आगामी चुनावों में भी यह एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। लेकिन जब कुछ राज्य सरकारें रोजगार को लेकर बेढंगे कानून बनाने लगती हैं तो यह समस्या और भी भयावह हो जाती है। ऐसा ही कानून हरियाणा सरकार ने बनाया है। औ र अब उसमें अधिसूचना जारी की गई है कि अगले वर्ष 15 जनवरी से निजी क्षेत्र के नौकरियों में 75 फ़ीसदी हरियाणा वालों को आरक्षण मिलेगा।

दरअसल यह कानून साल 2020 में पारित हुआ था। इसके बाद राज्य के उद्यमियों के साथ इस पर चर्चा की गई और अधिसूचना में कुछ संशोधन किए गए। जिसमें वेतन की सीमा को 5,0000 की सीमा से घटाकर 30,000 कर दिया गया। और स्थानीय निवास की अवधि 15 वर्ष से कम करके 5 वर्ष कर दी गई। इससे हुआ यह कि उद्यमियों पर जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने का बहुत ज्यादा दबाव था, वह थोड़ा कम हो गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि खट्टर सरकार का यह कानून 'हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडीडेट्स एक्ट 2020', देश में कहीं भी रहने की आजादी के अधिकार और कोई भी पेशा या रोजगार चुनने जैसे बुनियादी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

हरियाणा से उद्योग को ही स्थानांतरित कर देगा

सबसे बड़ा सवाल है कि खट्टर सरकार का यह कानून क्या हरियाणा के हित में है। या फिर इससे हरियाणा को और भी ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि जब आप कंपनियों पर इस तरह का दबाव बनाते हैं तो कंपनियां फिर स्थानांतरण की ओर सोचने लगती हैं। अब तो खबर यह भी आने लगी है कि गुड़गांव के तमाम बुनियादी कारोबार यानि आईटी और आईटीईएस कंपनियां अब अपना बोरिया बिस्तर गुड़गांव से समेटकर दिल्ली और नोएडा की ओर स्थानांतरण करने पर विचार कर रही हैं।

बड़े बड़े वाहन कारखाने और उनके पार्ट्स बनाने वाले नेटवर्क भी हरियाणा के औद्योगिक गतिविधियों का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र हैं। लेकिन इस कानून की वजह से अब वह भी अपने नए निवेश के लिए स्थानांतरण का रास्ता अपना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर यह खट्टर सरकार के इस नए कानून का सबसे बड़ा फैलियर होगा। क्योंकि ना तो यह कानून हरियाणा के लोगों को संतुष्ट कर पाएगा और ना ही उद्योग जगत को।

खट्टर सरकार के एक फैसले से चली जाएगी हजारों की नौकरी

हरियाणा की वर्तमान सरकार का यह फैसला पूरी तरह से उस हिंसात्मक जाट आंदोलन से जुड़ा है, जिसकी चर्चा पूरे देश में थी। खट्टर सरकार के पहले कार्यकाल में ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर जाटों ने बड़ा आंदोलन किया था। जिसके बाद जाट और 5 अन्य जातियों को सरकारी नौकरियों में 10 फ़ीसदी आरक्षण देने की बात कही गई। लेकिन मामला अभी तक अदालती निर्देश के कारण बीच में ही लटका हुआ है। अब हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्रों में 70 फ़ीसदी हरियाणा वालों को आरक्षण देकर इसी गैप को भरने की कोशिश की है।

इस फैसले से उन तमाम लोगों पर क्या बीतेगी जो दशकों से हरियाणा में रहकर अपनी रोजी–रोटी चला रहे हैं। हरियाणा के आईटी और विनिर्माण उद्योग में ज्यादातर बाहर के लोग नौकरी करते हैं। इनमें पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर लोग हैं। इस कानून के आने से एक ही झटके में इन तमाम लोगों के रोजगार पर तलवार चल सकती है।

जाट हिंसा के विकासशील समय में दिखाई दे रहा है जैसा कि सोनीपत के गोहाना, हिसार के मिर्चपुर और झज्जर जिले के दुलिना में देखा गया है।

[5] "दिल्ली सरकार ने 1999 में जाटों को ओबीसी सूची में शामिल किया था, जबकि उत्तर प्रदेश ने 2000 में ऐसा किया था। हरियाणा, पंजाब और जम्मू–कश्मीर सबसे सरल 3 राज्य रहे हैं जिनमें जाटों को अब ओबीसी का दर्जा नहीं दिया गया है।

[6] यह तर्क दिया गया है कि पंजाब और हरियाणा के जाटों के पास बड़ी भूमि है और उनकी वित्तीय स्थिति विभिन्न राज्यों में जाटों की तुलना में काफी अधिक है। दूसरी ओर, राजस्थान में जाट मूल रूप से काश्तकार किसान हैं, जिन्हें राजपूतों द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में 2,000 परिवारों पर एक नजर डालने पर, जिसमें विभिन्न जातियों की रेटिंग को चुनिंदा सामाजिक–वित्तीय संकेतों के आधार पर कवर किया गया था, यह पाया गया कि जाटों की स्थिति विभिन्न पिछड़ी जातियों के साथ–साथ विभिन्न पिछड़ी जातियों की तुलना में या उससे भी बदतर हो गई है। गुर्जर और यादव (सिंह 2011: 21)।

[7] इनमें जाट, जाट सिख, रोर, त्यागी और बिश्नोई शामिल थे। एचबीसीसी ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की भी वकालत की। हरियाणा सरकार पहले से ही अनुसूचित जातियों को 20 प्रतिशत के अलावा ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देती है। इसलिए, अवैधता के टैग को आकर्षित करने वाली कुल संख्या 57 प्रतिशत हो सकती है क्यो कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 50प्रतिशत पर सीमित कर दिया था।

[8] "हुड्डा अधिकारियों के माध्यम से यह प्रसार गैर–जाटों के माध्यम से बहुत नाराज हो गया। एक गैर सरकारी संगठन, जनहित सोशल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से दायर एक आरटीआई में, यह पाया गया कि जाटों के पास रोहतक, फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ जिलों के पुलिस विभागों के भीतर 61 फीसदी, 34 फीसदी और 29 फीसदी नौकरियां हैं (डोगरा 2012)। के सी गुप्ता आयोग, जो अप्रैल 2011 में हुड्डा अधिकारियों के माध्यम से जाटों के लिए आरक्षण के प्रश्न की जांच के लिए स्थापित हुआ, ने 17.82फीसदी उदाहरण निर्देश 1 और 2 सरकारी नौकरियों और 40–50 प्रतिशत आरक्षण के साथ–साथ निम्न ग्रेड का हवाला दिया। बेहतर प्रशिक्षण के प्रतिष्ठानों में जाट चित्रण 10.35फीसदी हो गया, जबकि जाट पुरुषों में साक्षरता 45फीसदी हो गई, महिलाओं में यह 30फीसदी हो गई। यह तर्क दिया जाता है कि जाटों की सामान्य भूमि 2–3 एकड़ है, जबकि लगभग 10फीसदी जाट भूमिहीन हैं (भाटिया 2016)।

हरियाणा को इंस्पेक्टर राज की तरफ ले जाएगा यह नया कानून

हरियाणा सरकार के इस नए कानून के मुताबिक यह कानून नियोक्ताओं को अनुमति देता है कि वह गैर स्थानीय कर्मचारियों को नियुक्ति दे सकते हैं, बशर्ते की उसी काम के लिए समान एक्सपीरियंस वाले स्थानीय युवा उपलब्ध ना हों। लेकिन समस्या यह है कि इस काम के लिए रियायत एक निर्धारित अधिकारी दे सकता है और अगर नियोक्ता इसका अनुपालन नहीं करता है, तो उस पर 10,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर इस कानून का उल्लंघन बराबर जारी रहा तो हर दिन अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। यानि कि सब कुछ एक अधिकारी के हाथ में होगा और बिना उसकी अनुमति के किसी गैर स्थानीय युवा को नौकरी नहीं मिलेगी। इन बातों पर गौर करें तो यह बिल्कुल इंस्पेक्टर राज की तरफ संकेत करते हैं।

किसी के लिए भी फायदेमद नहीं यह कानून

सरकार का यह नया रोजगार कानून किसी के काम नहीं आने वाला है। दरअसल हरियाणा में 30,000 से नीचे तक की नौकरियां ज्यादातर बाहरी लोग किया करते हैं। क्योंकि हरियाणा के स्थानीय लोग 15 हजार 20 हजार की नौकरियां करते कम ही नजर आते हैं। क्योंकि गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे इलाकों में 10,000 से लेकर 30,000 तक की ज्यादातर नौकरियां बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोग करते हैं।

जब यह कानून बना था और वेतन की सीमा 50,000 तक निर्धारित थी तब यह कुछ हद तक हरियाणा वालों के लिए कारगर था। लेकिन अब इसे घटाकर 30000 तक कर देने की वजह से कंपनियों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि 30,000 में हरियाणा के लोग सिक्योरिटी गार्ड, क्लर्क, प्यून जैसी नौकरियां तो करेगें नहीं और कानून की वजह से कंपनियां बाहर के लोगों को रख नहीं सकती हैं। ऐसे में खट्टर सरकार का यह नया कानून ना तो हरियाणा वालों के लिए मुफीद है और ना ही बाहरियों के लिए।

कितने लोगों को पास है स्थानीय निवास प्रमाण पत्र

हरियाणा सरकार ने कानून में संशोधन कर स्थानीय निवास की अवधि 15 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी है। लेकिन सवाल उठता है कि जो बाहर के लोग बीते 5 वर्ष या उससे ज्यादा समय से हरियाणा में रहकर नौकरी कर रहे हैं। क्या उनके पास हरियाणा का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या राशन कार्ड हैं। यह आप भी जानते हैं कि लोग रोजगार के लिए भले ही अपने राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन उनके डॉक्यूमेंट अपने ही राज्य के होते हैं। बहुत कम लोग ही अपने डाक्यूमेट्स बनवा पाते हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार की रियायत भी उन लोगों को काम नहीं आएगी जो बीते 5 वर्षों या उससे अधिक समय से हरियाणा में रह रहे हैं।

हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरी व शिक्षा संस्थानों में दाखिलों के लिए मिलने वाले आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के अनुसार संवैधानिक अथवा उनके समकक्ष पदों पर काम करने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चों को इस आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया गया है। किसी सांसद, मंत्री अथवा विधायक के पुत्र या पुत्री को भी पिछड़ा वर्ग के लिए मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की ओर से इस संबध में अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना आरक्षण अधिनियम 2016 में संशोधन करते हुए जारी की गई, ताकि पिछड़े वर्ग से नवोन्नत व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ के दायरे से अलग कर दिया जाए। हरियाणा सरकार की सोच यह भी है कि ऐसा करने से पहले से साधन संपन्न लोग सरकार की इस सुविधा का लाभ नहीं लेंगे और उनके स्थान पर पिछड़े वर्ग के वास्तविक जरूरतमंद लोगों को सरकार की आरक्षण व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा। इस श्रेणी में सरकार की ओर से 27 फीसद आरक्षण का लाभ दिया जाता है।

हरियाणा सरकार ने क्रीमीलेयर में वार्षिक आय सीमा आठ लाख से घटाकर छह लाख रुपये भी की है। यह परिवर्तन पिछड़ा वर्ग के लिए किया गया है। छह लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय होने पर पिछड़ा वर्ग को हरियाणा में आरक्षण नहीं मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किसी परिवार, जिनके स्वामित्व में हरियाणा भूमि–जोत की अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 की धारा 26 के अधीन अनुज्ञेय भूमि से अधिक भूमि का स्वामित्व है, उनके बच्चों को भी आरक्षण सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। जिन परिवारों की सभी स्रोतों से छह लाख रुपये या उससे अधिक की सकल वार्षिक आय है अथवा अधिकतम तीन निरंतर वर्षों की अवधि के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक की संपदा है, उनके बच्चों को भी आरक्षण के लाभ के दायरे से बाहर कर दिया गया है।

हरियाणा सरकार की ओर से सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अपने इस फैसले की जानकारी भेज दी गई है। अधिसूचना के अनुसार संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा इसी तरह के अन्य संवैधानिक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के पुत्र व पुत्रियां आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेंगे ।

अखिल भारतीय, केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं के वर्ग एक और वर्ग दो के अधिकारियों के पुत्र व पुत्रियों, जिनके माता–पिता में से एक या दोनों इन श्रेणियों में सेवारत हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे बैंकों, बीमा संगठनों में समकक्ष या समतुल्य पदों पर काम करने वाले अधिकारी हैं, उनके पुत्र व पुत्रियों को भी आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाएगा। इसके अलावा, सशस्त्र बलों तथा अर्ध सैनिक बलों में (सिविल पदों को धारण करने वाले अधिकारी शामिल नहीं हैं) माता–पिता में से एक या दोनों सेना में मेजर या उससे उच्च पद पर या जल सेना या वायु सेना या अर्ध सैनिक बलों में समकक्ष पद पर हैं, उनके पुत्र या पुत्रियों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

नए सिरे से तय किया क्रीमीलेयर

सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2021 को प्रदेश सरकार की तरफ से क्रीमीलेयर को लेकर 17 अगस्त 2016 और 28 अगस्त 2018 को जारी अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया था। इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम के प्रविधानों के अनुसार तीन महीने के अंदर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने नए सिरे से क्रीमीलेयर तय किया है। केन्द्र सरकार ने आठ लाख रुपये से कम वार्षिक आय वालों को आर्थिक रूप से कमजोर की श्रेणी में रखा है, जबकि हरियाणा ने यह सीमा छह लाख रुपये तय की है। सभी स्रोतों से प्राप्त आय को सकल वार्षिक आय की गणना करने के लिए जोड़ा जाएगा।

हरियाणा में पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए जुटी प्रदेश सरकार क्रीमीलेयर को दो श्रेणियों में बांटकर आरक्षण देना चाहती थी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पहले कार्यकाल में अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पेंच फंस गया। 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा बनाम हरियाणा सरकार केस में सुनवाई करते हुए 17 अगस्त 2016 को जारी नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया गया था। इस कारण उसके विस्तार और स्पष्टीकरण के लिए 28 अगस्त 2018 को जारी दूसरी अधिसूचना भी रद हो गई।

हरियाणा सरकार छह लाख से अधिक वार्षिक आय पर पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियो , शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं देगी। क्रीमीलेयर के नए मानदंडों में पिछड़े वर्गों के लिए वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपये से घटाकर 6 लाख कर दी गई है। वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये कम किए जाने से प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग प्रभावित होंगे।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव विनीत गर्ग ने नए मानदंडों की अधिसूचना जारी की है। पिछड़े वर्ग के सांसद–विधायकों के आश्रित, प्रथम–द्वितीय श्रेणी अफसर, सेना में मेजर व ऊपर के अधिकारियों के आश्रित दायरे में नहीं रखे गए हैं।

प्रथम, द्वितीय श्रेणी अफसरों, सेना में मेजर व ऊपर के अधिकारियों के आश्रित भी दायरे में नहीं पिछड़े वर्ग के सांसद–विधायकों के आश्रित, प्रथम–द्वितीय श्रेणी अफसर, सेना में मेजर व ऊपर के अधिकारियों के आश्रित दायरे में नहीं रखे गए हैं। वायुसेना व नौसेना में समकक्ष स्तर के अधिकारियों के आश्रितों को आरक्षण से बाहर कर दिया गया है। निर्धारित आय सीमा से अधिक जमीन और पिछले तीन साल में एक करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति अर्जित करने वालों को भी लाभ नहीं मिलेगा। इन वर्गों के राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक महालेखा परीक्षक सहित अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों व परिजनों को आरक्षण से वंचित कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2021 को प्रदेश सरकार की तरफ से क्रीमीलेयर को लेकर 17 अगस्त 2016 और 28 अगस्त 2018 को जारी अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया था। इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तीन महीने के अंदर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने नए सिरे से क्रीमीलेयर तय किया है। केन्द्र सरकार ने आठ लाख रुपये से कम वार्षिक आय वालों को आर्थिक रूप से कमजोर की श्रेणी में रखा है, जबकि हरियाणा ने यह सीमा छह लाख रुपये तय की है। सभी स्रोतों से प्राप्त आय को सकल वार्षिक आय की गणना करने के लिए जोड़ा जाएगा।

निष्कर्ष

"1990 के दशक की शुरुआत में भारत द्वारा अपनाए गए आर्थिक उदारीकरण ने गैर–पिछड़े वर्गों के लिए एक विकल्प प्रदान किया। अगड़े वर्गों के लिए बाजार के अवसर और पिछड़े वगो ं के लिए राज्य की उदारता का एक मौन समझौता हुआ। हालाँकि, हाल के दिनों में, अगड़े वर्गों द्वारा पिछड़े के रूप में मान्यता के लिए जोर–शोर से आवाज उठाई जा रही है। जाटों के सामने तीन चुनौतियाँ निचली जातियों के उदय, उदारीकरण के प्रभाव और जनसांख्यिकीय बदलाव से संबंधित थीं। उदारीकरण का सरकारी रोजगार की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ा क्योंकि राज्य का आकार छोटा हो गया था। राज्य की शैक्षणिक सुविधाएं ठप्प हो गईं और निजी क्षेत्र अनियंत्रित रूप से फला–फूला।''

सन्दर्भ

1. कैंपबेल, जी 'ऑन द रेस स ऑफ इंडिया ऐज ट्रेस्ड इन एक्जिस्टिंग ट्राइब्स एंड कास्ट्स,' द जर्नल ऑफ द एथ्नोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन (1869–1870) 1869;1(2):128-40।
2. दत्ता, एनः फॉर्मिंग एन आइडेंटिटीः ए सोशल हिस्ट्री ऑफ द जाट, नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999।
3. देसाई, एसः 'क्वांटिफाइंग द कास्ट कोटा,' हिंदू, 26 फरवरी, 2016।
4. गैलेटर, एमः 'द लॉन्ग हाफ–लाइफ ऑफ रिजर्वेशन,' इंडियाज लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनः आइडियाज, प्रैक्टिसेज, कॉन्ट्रा व सीज, जेड हसन, ई श्रीधरन और आर सुदर्शन (एड्स), नई दिल्लीः परमाने ट ब्लैक, 2004, 306-18।
5. जैफ्रेलॉट, सीः भारत में धर्म, जाति और राजनीति, दिल्लीः प्राइमस बुक्स, 2010।
6. जे फरी, सीः ''ए फिस्ट इज स्ट्रांगर दैन फाइव फिंगर्सः कास्ट एंड डोमिने स इन रूरल नॉर्थ इंडिया,'' रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी, 2001।
7. मैकडॉनेल, एएः भारत में जाति का प्रारंभिक इतिहास, अमेरिकी ऐतिहासिक समीक्षा 1914;19(2):230-44।
8. मूनी, एनः रूरल नॉस्टेल्जियास एंड ट्रांसनेशनल ड्रीम्सः आइडेंटिटी एंड मॉडर्निटी अमंग जाट–सिख, टोरंटोः यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो प्रेस, 2011।
9. मुरलीधरन, एसः द पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन्स, फ्रंटलाइन, 1999 नवंबर;16(24):13-26।
10. ओमवेट, जीः जाट और उनका संघ'' (गुप्ता की समीक्षा, डी (1997): प्रतिद्वंद्विता और भाईचारा : उत्तरी भारत में किसानों के जीवन में राजनीति, दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस), आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक 1997;32:35।
11. पिंटो, एः सैफ्रोनाइजेशन ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 1999, दिसंबर 25, 3642-45।
12. प्रधान, एम सीः द जाट ऑफ नॉर्दर्न इंडियाः देयर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 17, नंबर 50, 11 दिसंबर, पृ० 1821–24। 13. राजलक्ष्मी, टी के (2010) : ''अपिंग द एंटे, फ्रंटलाइन, 1965, 27(21)।
13. सेठी, आर एम (एड): ग्रामीण भारत का सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल (श्रृंखला), खंड पांच, उत्तर और मध्य भारत, नई दिल्ली : अवधारणा प्रकाशन, 2011।
14. वर्मा, वीः भारत में भेदभाव और समानता : सामाजिक न्याय की सीमाओं का चुनाव, ऑक्सनः रूटलेज, 2012।